

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 447 / 2012

दर्ज दिनांक:-04.12.2012

1. जयपाल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

रमेश सोलकी

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अपने पिता की खातेदारी की ख.नं. 8808/0.29 है0, 8816/0.29 है0, 8817/0.23 है0, 8820/0.38 किता 4 रकवा 1.19 है0 स्थित जघीना सं. 4 पर गैर खातेदारी से खातेदारी का अनुतोष चाहा है। प्रकरण साक्ष्य वादी में प्रचलित है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपनी गैर खातेदारी के स्त्रोत यथा मौरोसी/गैर मौरोसी/खुद काश्त/आंवटी/पहेदार को किसी रिकार्ड को पत्रावली पर पेश नहीं किया है। दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द. की जावे।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

